(अंग्रेजी माध्यम)

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
शाहजहॉपुर

सेवा में,

प्रबन्धक,

कर्नल एकेडमी ग्लोबल पब्लिक स्कूल,
आदमपुर पुवायां रोड, भावलखेडा,
जनपद शाहजहॉपुर।

पत्रांक / बेसिक / मान्यता / 25192-95 / 2016–17 दिनांकः 27-12-16

विषय– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण–प्रत्र।

महोदय / महोदया,

शासनदेश संख्या–418 / 79–6–2013 एस0 (7) / 89 शिक्षा अनुभाग 6 लखनऊ दिनांक 8 मई 2013 के क्रम में आपके आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वती पत्राचार / निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से मै **कर्नल एकेडमी ग्लोबल पब्लिक स्कूल, आदमपुर पुवायां रोड, भावलखेडा, जनपद शाहजहॉपुर** को तारीख 01.04.2016 से 31.03.2019 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा नर्सरी से कक्षा 08 तक के लिए अंग्रेजी माध्यम की अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की सूचना देता हूँ।

उपरोक्त मजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किए जाने के अध्यधीन हैं–

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं और उसमें किसी भी रूप मे कक्षा 8 के पश्चात मान्यता / सम्बन्धन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नही है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपाबध 2) के उपाबन्धो का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में) ,उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पडोस के कमजोर वर्गो और सुविधा–विहीन समूह के बालकों एवं बालिकाओं को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों एवं बालिकाओं के लिए विद्यालयों को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूतियां प्राप्त करनें के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा ।
5. सोसाइटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नही करेगा और किसी बालक या उसके माता पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रकिया के अध्यधीन नही करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नही करेगा और वह अधिनियम की धारा 5 के उपबधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगाः–

I. प्रवेश दिए गए किसी भी छात्र को, विद्यालय मे उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नही किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नही किया जायेगा।
II. किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीडन के अध्यधीन नही किया जायेगा
III. प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नही की जाएगी।
IV. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा।
V. अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशवतता ग्रस्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
VI. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती हैं। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताए नही हैं, पॉच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताए अर्जित करेंगें।
VII. अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता हैं और
VIII. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन कियाकलापो में नियोजित नहीं करेंगे।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथानिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और नियमों को बनाए रखेगा। अतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं मानक अनुसार पायी गयी है तथा जांच आख्या पत्रावली में अंकित है।
9. विद्यालयों के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर–मान्यता प्राप्त कक्षाएं नही चलाई जाएगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।
11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा हैं।
12. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जायेगा।
13. विद्यालय के लेखाओ की किसी चार्टर्ड अकाउटेंट द्वारा सम्परीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जायेगें। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जायेगी।
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्याक..................है। कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्याक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता हैं जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक /जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता हैं जो मान्यता सम्बन्धों शर्तो के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाए।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
17. विद्यालय मे अग्निशमन यन्त्र एवं विद्यालय भवन मानक अनुसार होना चाहिए।

शिक्षा संहिता में उल्लिखित नियमों एवं विभागीय शासनादेशों मे दिये गये आदेशो/निर्देशो का उल्लघन करने पर तथा अभिलेखों आदि कोई तथ्य छिपाया/कूट रचित पाया गया तो उक्त विद्यालय की मान्यता के प्रत्याहरण करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।

भवदीय

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
शाहजहाँपुर

पृ0सं0:/बेसिक/मान्यता/ /2016–17 तद्दिनांक।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), बरेली।
3. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, जनपद शाहजहाँपुर।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
शाहजहाँपुर